UPMT010093902021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
सत्र परीक्षण संख्या–1736/2021

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––अभियोजन पक्ष

प्रति

राजेन्द्र आयु लगभग 33 वर्ष पुत्र शिवराम,
निवासी ग्राम सलेमपुर, थाना हाईवे, जिला मथुरा। ––––––अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–296/2019
धारा–307, 384, 386, 323, 504, 506
भारतीय दण्ड संहिता,
थाना हाईवे, जिला मथुरा।

निर्णय

प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री प्रभूदयाल शर्मा, निवासी गाँव सलेमपुर, थाना हाईवे, जिला मथुरा द्वारा थाना हाईवे, जिला मथुरा पर एक प्रार्थनापत्र दिनांकित 14.04.2019 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि राजेन्द्र पुत्र शिवराम अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, चौथ वसूलना व लूट आदि करना उसका धंधा है, परन्तु राजनैतिक पहुँच के कारण अभी तक बचता रहा है। दिनांक 12.04.2019 को वादी मुकदमा मथुरा से गाँव वापस आ रहा था, जैसे ही राजेन्द्र के घर के पास पहुँचा तो राजेन्द्र ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ वादी की मोटरसाइकिल रोक ली, ये लोग शराब के नशे में थे। वादी को गाली देते हुए कहा कि साले तू बहुत पैसे कमा रहा है, हमें 20 हजार रूपया चौथ दे, नहीं तो अभी गोली से उड़ा देंगे। तीनों ने अंटी से कट्टे निकाल लिए और वादी पर तान दिए। वादी ने जान का भय देखकर जेब में रखे 5,000/– रूपए इन लोगों को दिए और बाकी पैसा बाद में देने की कहकर चलने लगा तो इन लोगों ने यह कहते हुए कि साले किसी से भी अभी पैसे मँगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। वादी ने गाली देने से मना किया और चलने लगा तो इन लोगों ने वादी को थप्पड़–घूँसों से मारना शुरू कर दिया, उसी समय वादी का पुत्र जय कुमार आ गया, जिसने वादी को बचाया। इन लोगों ने उसको भी गंदी गालियाँ देते हुए लात–घूँसों से मारा–पीटा। जय कुमार घरवालों को बुलाने के लिए छूटकर भागा तो राजेन्द्र ने जान से मारने की नीयत से जय कुमार पर कट्टे से फायर किया, जिससे वह बाल–बाल बच गया। घटना को मौके पर मौजूद नवनीत पुत्र प्रेमकिशोर, निवासी सलेमपुर ने देखा और 100 नंबर पुलिस को जय कुमार ने फोन किया, जिस पर ये लोग यह धमकी देते हुए गए कि साले अगर तीन दिन के अंदर 15,000/–रूपए नहीं दिए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजेन्द्र ने यह भी धमकी दी कि मैं अपनी पत्नी से तेरे खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखा दूँगा, फिर मैं जो चाहूँगा, वो तुझसे वसूलूँगा। वादी को भय है कि राजेन्द्र व उसके साथी पैसे के लालच में वादी या वादी के परिवारीजन के साथ कोई भी घिनौनी घटना कर सकते हैं।

2– वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार द्वारा थाना हाईवे, जिला मथुरा पर प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थनापत्र, जोकि पत्रावली पर **प्रदर्श क–1** है, के आधार पर यह अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 296/2019 के रूप में विरूद्ध अभियुक्त राजेन्द्र एवं एक अज्ञात, अंतर्गत धारा 307, 384, 386, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया, जिसमें बाद विवेचना आरोपपत्र अंतर्गत धारा 307, 384, 386, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.26 16:30:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संहिता विरूद्ध अभियुक्त राजेन्द्र विचारण हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3– अभियुक्त राजेन्द्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित आया और सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उक्त अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए दिनांक 22.11.2021 को यह मामला सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया।

4– अभियुक्त राजेन्द्र के सत्र न्यायालय में उपस्थित आने पर उसके विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 307, 384, 386, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 08.03.2022 को विरचित किए गए, जिनसे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की प्रार्थना की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध विरचित किए गए आरोपों को सिद्ध करने हेतु निम्नांकित साक्षीगण परीक्षित कराए गए–

पी०डब्लू० 1	यतेन्द्र कुमार (वादी मुकदमा)
पी०डब्लू० 2	जय कुमार
पी०डब्लू० 3	है०कां० 798 राकेश कुमार
पी०डब्लू० 4	नवनीत
पी०डब्लू० 5	सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल
पी०डब्लू० 6	निरीक्षक विपिन कुमार

साथ ही अपने कथानक के समर्थन में निम्नांकित अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उन्हें उनके समक्ष अंकित अभियोजन साक्षियों के माध्यम से सिद्ध कराया गया–

प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार (वादी मुकदमा)
प्रदर्श क–2	चिक एफ०आई०आर०	पी०डब्लू० 3 है०कां० 798 राकेश कुमार
प्रदर्श क–3	जी०डी०कायमी	पी०डब्लू० 3 है०कां० 798 राकेश कुमार
प्रदर्श क–4	मैडिकल जय कुमार	पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल
प्रदर्श क–5	मैडिकल यतेन्द्र कुमार	पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल
प्रदर्श क–6	नक्शानजरी	पी०डब्लू० 6 निरीक्षक विपिन कुमार
प्रदर्श क–7	आरोपपत्र	पी०डब्लू० 6 निरीक्षक विपिन कुमार

6– अभियुक्त राजेन्द्र के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किए गए, जिनमें उसने स्वयं पर लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में कहा कि साहब मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा झूठा लिखाया गया है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जबकि मेरे ही दूध के पैसे न देने पड़ें और मेरी पत्नी के साथ की गई बदतमीजी के मुकदमे लिखाने पर डटा रहा, तब राजनैतिक पद का दुरूपयेाग कर जज उर्फ योगेन्द्र ने पुलिस से साँठ–गाँठ कर मुझ पर झूठा मुकदमा लिखा दिया, मुझे झूठा फँसाया गया है, मैंने कोई घटना नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ।

पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार (वादी मुकदमा) की मुख्य परीक्षा के कथनों के सम्बन्ध में इस आशय के कथन किए कि वादी द्वारा झूठे बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखाया है, मैंने किसी से कोई चौथ नहीं माँगी, न मैंने कोई मारपीट की, न मैंने कोई फायर किया। मेरे पैसे मुझे न देने पड़ें तथा जो घटना मेरी पत्नी के साथ इन्होंने की, उसे न लिखवाने के लिए न मानने पर मेरे खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर जज उर्फ योगेन्द्र, जोकि उस समय बी०जे०पी० के जिला उपाध्यक्ष थे, जो वादी के भाई हैं, ने

पुलिस पर दबाव डालकर मेरा मुकदमा नहीं लिखने दिया और मेरे खिलाफ अनर्गल, निराधार, असत्य कथनों के आधार पर झूठा मुकदमा लिखाया है। मैं निर्दोष हूँ।

पी०डब्लू० 2 जय कुमार की मुख्य परीक्षा के कथनों के सम्बन्ध में इस आशय के कथन किए कि साहब, सभी गवाह हितबद्ध गवाह हैं। जय कुमार, जोकि पी०डब्लू० 2 है, वादी का सगा बेटा है और झूठी गवाही अपने पिता को बचाने के उद्देश्य से पुलिस से मिलकर दी है। मैंने कोई कृत्य नहीं किया है। मेरी पत्नी का मुकदमा मैं वापस ले लूँ तथा अपने पैसे नहीं माँगूँ, इसीलिए सभी ने षड्यंत्र कर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया है। मैं निर्दोष हूँ।

पी०डब्लू० 3 है०कां० 798 राकेश कुमार की मुख्य परीक्षा के कथनों के सम्बन्ध में इस आशय के कथन किए कि पी०डब्लू० 3 जोकि उस समय कां०क्लर्क थे, ने भी वादी के भाई के प्रभाव में आकर बिना किसी आला अधिकारी के आदेश के झूठा मुकदमा लिखा है।

पी०डब्लू० 4 नवनीत की मुख्य परीक्षा के कथनों के सम्बन्ध में इस आशय के कथन किए कि साहब, सभी गवाह हितबद्ध गवाह हैं। नवनीत, जोकि पी०डब्लू० 4 है, वादी का सगा भतीजा है और झूठी गवाही अपने चाचा को बचाने के उद्देश्य से पुलिस से मिलकर दी है। मैंने कोई कृत्य नहीं किया है, न ही नवनीत कुमार वहाँ मौजूद था। मेरी पत्नी का मुकदमा मैं वापस ले लूँ तथा अपने पैसे नहीं माँगूँ, इसीलिए सभी ने षड्यंत्र कर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया है। मैं निर्दोष हूँ।

पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल की मुख्य परीक्षा के कथनों के सम्बन्ध में इस आशय के कथन किए कि डॉक्टर मुकुन्द बंसल के बयानों से स्पष्ट है कि चोटों की प्रकृति के साथ–साथ चोटों का रंग, जोकि चोटों के समय को दर्शाता है, का वर्णन अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है तथा चोटें नई थीं या पुरानी, नहीं कहा जा सकता। डॉक्टरी मुआयने की रिपोर्ट भी इसी कारणवश राजनैतिक प्रभाव से बनवाई गई प्रतीत होती है तथा चोटें निर्मित व पुरानी प्रतीत होती हैं, जिन्हें मुकदमे में लाभ लेने के उद्देश्य से दर्शाया गया है। मैंने कभी कोई चोट किसी व्यक्ति को नहीं पहुँचाई।

पी०डब्लू० 6 निरीक्षक विपिन कुमार की मुख्य परीक्षा के कथनों के सम्बन्ध में इस आशय के कथन किए कि विवेचक द्वारा उक्त वर्णित मुकदमे की विवेचना से भी स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा पूर्णतः राजनैतिक प्रभाव में आकर विवेचना की गई है, दौरान विवेचना मुकदमे में आए तथ्यों से सम्बन्धित नहीं की गई है, इसलिए विवेचना स्वयं में दोषपूर्ण है तथा वादी के भाई जज उर्फ योगेन्द्र, बी०जे०पी० उपाध्यक्ष की नेतागीरी के कारण उपरोक्त प्रकरण दर्ज होकर आरोपपत्र दाखिल हुआ है, जिसमें कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ है और न ही जिस तरह की चौथ वसूली में लिए गए पैसों की बरामदगी के सम्बन्ध में कोई बयान लिया गया है। मैंने न तो किसी से कोई चौथ माँगी, न ही किसी के साथ कोई मारपीट की और न ही किसी पर कोई जानलेवा फायर किया। मैं निर्दोष हूँ।

अभियुक्त राजेन्द्र ने प्रतिरक्षा साक्ष्य देने से इंकार करते हुए इस आशय के कथन भी किए कि नहीं साहब। वादी व वादी का परिवार दबंग व राजनैतिक परिवार है, इनके भय की वजह से कोई सही बात कहने को तैयार नहीं होता है, इसलिए मैं कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता। मेरे पैसे न देने पड़ें तथा मैं अपनी पत्नी के मुकदमे को अपनी पत्नी से वापस लिवा लूँ और कोई मुकदमा न करूँ, इसी कारण मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं निर्दोष हूँ।

7– इस मामले में अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध इस आशय के आरोप विरचित किए गए हैं कि उसने दिनांक 12.04.2019 को समय अदम तहरीर स्थान गाँव सलेमपुर, अंतर्गत थाना हाईवे, जिला मथुरा पर वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 20,000/–रूपए की माँग की, उस पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 5,000/–रूपए ले लिए, वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार व उसके पुत्र जय कुमार के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाते हुए, उनके साथ गालीगलौज की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और वादी मुकदमा यतेन्द्र

कुमार के पुत्र जय कुमार को जान से मारने की नीयत से उस पर कट्टे से फायर किया।

8– अपने उक्त कथानक को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए पी०डब्लू० 1/वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 26.03.2025 में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 12.04.2019 को रात के आठ बजे मैं मथुरा से अपने गाँव सलेमपुर वापिस आ रहा था, जब मैं राजेन्द्र के घर के पास पहुँचा तो राजेन्द्र ने दो अन्य साथियों के साथ मेरी मोटरसाइकिल स्प्लैंडर को रूकवा लिया था। ये लोग शराब पिए हुए थे। नशे में मुझसे उन्होंने कहा कि साले तू बहुत पैसे कमाता है, तुझे 20,000/–रूपए चौथ के देने होंगे, अगर नहीं दिए तो तुझे जान से मार देंगे और तीनों ने अपनी–अपनी अंटी से तमंचे निकाल लिए और मेरे पर तान दिए। मैंने डर के कारण 5,000/–रूपए अपनी जेब से निकालकर दे दिए तथा 15,000/– रूपए बाद में देने की कह कर मैं चल दिया तो तीनों ने कहा कि साले अभी पैसे मँगा ले, नहीं तो तुझे जाने नहीं देंगे और वे लोग मुझे लात–घूँसों व थप्पड़ों से मारने लगे। तमंचों की बटों से भी मारा। उसी समय मेरा बेटा जय कुमार वहाँ आ गया और मुझे बचाया तो उक्त तीनों ने जय कुमार के साथ मारपीट की, उसे भी लात–घूँसों व बटों से मारा। जय कुमार उन लोगों से छूटकर भागा तो राजेन्द्र ने जान से मारने की नीयत से जय कुमार पर गोली चला दी, जिससे वह बाल–बाल बच गया। शोरगुल व फायर की आवाज सुनकर नवनीत पुत्र प्रेमकिशोर, जो मेरे ही गाँव का है व श्याम निवासी नगला माना आ गए, जिन्होंने घटना देखी। जय कुमार ने अपने मोबाइल से 100 नंबर पर फोन किया। मुल्जिमान ने कहा कि 15,000/–रूपए तीन दिन में आ जाएँ, नहीं तो अगर कहीं शिकायत की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजेन्द्र ने यह भी कहा था कि अपनी पत्नी से तुझ पर, तेरे भाई, बेटे, भतीजे पर बलात्कार का झूठा मुकदमा लगवा देंगे और मनमाने पैसे वसूल करेंगे। एक घंटे बाद 100 नंबर की पुलिस घटनास्थल पर आई, उनको हमने घटना बताई तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी घटना थाना हाईवे में दे देंगे तथा कार्यवाही करवा देंगे। एक दिन बाद हम थाना हाईवे पर कार्यवाही की जानकारी करने गए। थाने वालों ने हमसे लिखित रिपोर्ट देने को कहा तो मैंने दिनांक 14.04.2019 को टाइप करवाकर एक प्रार्थनापत्र थाने पर दिया था, जो पत्रावली पर कागज संख्या 3अ/3 है, यह वही तहरीर है, जो मैंने थाने पर दी थी, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया है। आगे इस साक्षी ने इस आशय के कथन भी किए हैं कि दिनांक 13.04.2019 को पुलिस ने मेरा मैडिकल जिला अस्पताल, मथुरा में कराया था, जिसमें मेरे पाँच चोटें आई थीं। डॉक्टर साहब ने मैडिकल रिपोर्ट पर मेरा निशानी अँगूठा लगवाया था, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, मैडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/6 है। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ की थी। घटना वाली जगह को दरोगा जी को मैंने दिखाया था, जिसे देखकर दरोगा जी ने उस स्थान की लिखापढ़ी कर नक्शा बनाया था। अभियुक्त राजेन्द्र शातिर किस्म का अपराधी है, इसके विरूद्ध कई मुकदमे चल रहे हैं।

9– पी०डब्लू० 2 जय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 07.08.2025 में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 12.04.2019 को समय करीब 10.00 बजे रात की बात है कि मेरे पिता जी यतेन्द्र कुमार बाजार से गाँव वापस आ रहे थे, जैसे ही घर के पास आए तो गाँव का राजेन्द्र व दो उसके अज्ञात साथी ने मिलकर मेरे पिता जी की मोटर साइकिल रोकी और कहा कि साले तू बहुत पैसे कमाता है, हमें बीस हजार रूपए चौथ दे, इस पर मेरे पिता जी ने उनको चौथ देने से मना किया और आगे वहाँ से चल दिए। उक्त तीनों लोग शराब पिये हुए थे, तीनों लोगों ने अपनी अंटी में से तमंचे निकालकर बीस हजार रूपए चौथ के माँगे तो मेरे पिता जी ने जान का खतरा देखते हुए जेब में रखे पाँच हजार रुपए उक्त लोगों को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने की कहकर वहाँ से चलने लगे तो उन लोगों ने रोक लिया और कहा कि साले अभी पैसे दे या किसी से मँगा, इस पर मेरे पिता जी ने गाली देने से मना किया तो उक्त तीनों लोगों ने पिता जी के साथ मारपीट शुरु कर दी, तभी वहाँ पर मैं पहुँच गया और मैंने अपने पिता जी को बचाया तो उक्त तीनों लोगों ने मुझे भी गंदी–गंदी

गालियाँ दीं और मुझे भी मारना–पीटना शुरु कर दिया। उसके बाद में उनसे बच कर अपने घरवालों को बुलाने भागा तो घटनास्थल पर दो लोग मौजूद थे, एक का नाम श्याम ठाकुर और दूसरे का नाम नवनीत था। जब मैं वहाँ से जान बचाने के लिए भागा तो राजेन्द्र ने मुझ पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, इसके बाद मैंने पुलिस को सौ नंबर पर सूचना दी थी। इसके बाद राजेन्द्र व उसके दो अज्ञात साथी यह कहते हुए वहाँ से भाग गए कि अगर बाकी चौथ के पन्द्रह हजार रुपए नहीं दिए तो तुझे जान से मार देंगे और राजेन्द्र ने यह भी कहा कि अगर तूने कोई कार्यवाही की तो तुझे झूठे मुकदमे में फँसा देंगे। इसके बाद मेरे पिता जी ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद उक्त लोगों ने मेरे पिता जी यतेन्द्र कुमार, मेरे ताऊ जी किशोर, मेरे चाचा जी जज (जज नाम से जानते हैं), मैं, मेरे दोनों भाई मुकेश, पवन के ऊपर लूटपाट व छेड़खानी का झूठा मुकदमा दर्जा करा दिया है। अभियुक्तगण द्वारा चौथ माँगने पर मारपीट में मेरे व मेरे पिता जी के चोटे आईं थीं, जिनका मेडिकल परीक्षण कराने हम खुद जिला अस्पताल, मथुरा गए थे, एक पुलिसवाला मेरी मोटरसाइकिल पर मेरे साथ बाइक पर गया था। बाइक घर का ही कोई व्यक्ति चला रहा था। दिनांक 13.04.2019 को जिला अस्पताल, मथुरा में मेरा मेडिकल हुआ था, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/5 है, यह वही मेडिकल रिपोर्ट है, जिस पर डॉक्टर साहब ने मेरा निशानी अँगूठा लगवाया था, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ।

10– पी०डब्लू० 3 है०कां० 798 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 20.11.2025 में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 14.04.2019 को मैं थाना हाइवे पर है०कां० के पद पर तैनात था, उसी दिन वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पुत्र स्व० प्रभुदयाल शर्मा, निवासी सलेमपुर थाना हाइवे, जिला मथुरा एक टाइपशुदा प्रार्थनापत्र लेकर थाने पर आए थे। मेरे द्वारा वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार के टाइपशुदा प्रार्थनापत्र पर प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश से कम्प्यूटर से स्वयं चिक एफ०आई०आर० तैयार की थी, जिस पर मेरे द्वारा मु०अ०सं० 296/2019 अंतर्गत धारा 307, 384, 386, 323, 504, 506 IPC बनाम राजेन्द्र आदि पंजीकृत किया था। चिक एफ०आई०आर० को मैंने अच्छी तरह देखकर–पढ़कर मैंने थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बनवाए थे। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/2 वही एफ०आई०आर० है, जो मैंने कार्यलेख के दौरान तैयार की थी, जिस पर मैंने थाना प्रभारी नितिन कसाना के हस्ताक्षर बनवाए थे, मैं थाना प्रभारी नितिन कसाना के साथ रहा हूँ, मैंने उनको लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते हुए देखा है, मैं इनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। चिक एफ० आई०आर० का खुलासा मैंने जी०डी० नंबर 36 दिनांक 14.04.2019 को समय 13:51 पर किया था। कायमी जी०डी० मैंने स्वयं कम्प्यूटर से तैयार की थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/10 है, यह वही मुकदमा कायमी जी०डी० है, जो मैंने अपने कार्यलेख के दौरान स्वयं कम्प्यूटर से तैयार की थी तथा जिसको देखकर व पढ़कर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाए थे, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

11– पी०डब्लू० 4 नवनीत ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 19.01.2026 में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 12.04.2019 को रात्रि दस बजे मेरे चाचा यतेन्द्र बाजार से घर वापस आ रहे थे। घर के पास राजेन्द्र तथा दो अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे चाचा को रोका और कहा कि साले तू बहुत पैसे कमाता है, हमें चौथ के बीस हजार रूपए तुझे देने होंगे, यदि पैसे नहीं दिए तो तुझे जान से मार देंगे। मेरे चाचा ने विरोध किया तो उन्हें तीनों ने मारा–पीटा और तमंचे की बट से उनके सिर पर वार किया। अंटी से तमंचा निकाला और बोले कि साले तू बहुत पैसे कमाता है, साले तुझे बीस हजार रूपए देने होंगे। चाचा ने डर के कारण अपने पास से उन तीनों को पाँच हजार रूपए दे दिए तथा पन्द्रह हजार रूपए बाद में देने की कह कर चाचा वहाँ से चल दिए। इसका विरोध करने पर चाचा यतेन्द्र को इन तीनों ने लात–घूँसों व तमंचे की बट से मारा और बोले कि साले तू अभी पैसे मँगवा, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। तभी वहाँ पर जय कुमार आ गया और उसने यतेन्द्र को बचाया। राजेन्द्र व

उसके दो साथियों ने जय कुमार को भी लात–घूँसों व तमंचे की बट से मारा। वहाँ से जय कुमार जैसे–तैसे उन लोगों के चंगुल से भागा, तो जय कुमार ने 100 नंबर डायल किया। उसके बाद राजेन्द्र ने चाचा यतेन्द्र से कहा कि साले ये बातें आपने किसी को बताईं तो तुझे जिंदा मार देंगे और अगर तूने आगे शिकायत की तो अपनी बीबी से बलात्कार का तुझ पर व तेरे भाई पर व तेरे भतीजे पर झूठा मुकदमा लगा देंगे और फिर तुम लोगों से मनमाने पैसे वसूलेंगे। फिर एक घंटे बाद वहाँ पर 100 नंबर की पुलिस आ गई। यह घटना मैंने व श्याम निवासी नगला माना व जय कुमार ने देखी। इसके बाद 100 नंबर के इंचार्ज ने मेरा बयान लिया तो मैंने यही घटना का बयान दिया। जय कुमार को भी मारने की धमकी दी। इसके बाद मेरे चाचा यतेन्द्र ने थाना हाईवे में एफ०आई०आर० करवाई थी। जय कुमार पर मारने की नीयत से राजेन्द्र ने तमंचे से गोली मारी, जिससे वह बाल–बाल बच गया।

12– पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 11.02.2026 में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 13.04.2018 को मैं जिला अस्पताल मथुरा में आकस्मिक विभाग में ई०एम०ओ० के पद पर तैनात था। दिनांक 13.04.2018 को थाना हाईवे से मजरूब जय कुमार को होमगार्ड 1036 महेश चन्द्र लेकर जिला अस्पताल आए थे। मेरे द्वारा मजरूब जय कुमार पुत्र यतेन्द्र उम्र 27 वर्ष, लिंग पुरूष, निवासी सलेमपुर, थाना हाईवे, जिला मथुरा का दिनांक 13.04.2018 को समय रात्रि 1:25 पर मेडिकल परीक्षण किया गया था, जिसका पहचान चिह्न काला तिल बाँई हसली पर अंकित किया था। मजरूब जय कुमार के निम्न चोटें परीक्षण करते समय पाई गईं थीं–

(1) दाहिने अँगूठे और हाथ पर 7 x 4 cm की नीलगू सूजन।
(2) पीठ के बाँई तरफ 6 x 1 cm की नीलगू।

मेरी राय में चोट नंबर 1 के एक्सरे की सलाह दी गई। बाकी चोट साधारण थीं। चोटें किसी कुंदाले हथियार से आनी संभव थीं, लगभग ताजा थीं। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4अ/5 वही मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट है, जो मैंने ड्यूटी के दौरान तैयार की थी तथा जिस पर मैंने चुटैल का निशानी अँगूठा लिया था, जिसे मैंने प्रमाणित किया था, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

इसी दिनांक को 1:35 AM पर मैंने मजरूब यतेन्द्र कुमार उर्फ गुड्डू, उम्र लगभग 50 वर्ष, लिंग पुरुष, निवासी सलेमपुर, थाना हाईवे, जिला मथुरा को उपरोक्त होमगार्ड लेकर आए थे। पहचान चिह्न पीठ के दाहिनी तरफ काला तिल था। मजरूब यतेन्द्र के निम्न चोटें परीक्षण करते समय पाई गई थीं–

(1) बाँए कंधे पर सूजन।
(2) पीठ के बाँई तरफ 10 x 8 cm के क्षेत्रफल में कई सारे नीलगू निशान।
(3) छाती के बाँई तरफ 4 x 2 cm नीलगू निशान।
(4) पेट में दर्द की शिकायत।
(5) बाँए हाथ पर 3 x 1 cm की नीलगू।

मेरी राय में चोट नंबर 2 को निगरानी में रखते हुए उसके एक्सरे की सलाह दी गई थी, बाकी चोटें साधारण थीं। ये चोटें किसी कुंदाले हथियार से आना संभव थीं और लगभग ताजा थीं। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4अ/6 वही मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट हैं, जो मैंने ड्यूटी के दौरान तैयार की थी तथा जिस पर मैंने चुटैल का निशानी अँगूठा लिया था, जिसे मैंने प्रमाणित किया था, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

13– पी०डब्लू० 6 निरीक्षक विपिन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 18.02.2026 में मुख्यतः इस आशय के कथन किए हैं कि वर्ष 2019 में मैं बतौर चौकी प्रभारी, मण्डी समिति, थाना हाईवे, जिला मथुरा पर नियुक्त था। दिनांक 14.04.2019 को वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री प्रभुदयाल शर्मा, निवासी गाँव सलेमपुर, थाना हाइवे, जिला मथुरा ने अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र शिवराम, निवासी सलेमपुर, थाना हाइवे, जिला मथुरा के विरूद्ध

मु०अ०सं० 296/2019, धारा 386,323, 307,504,384,506 IPC पंजीकृत कराया था। उक्त मुकदमे की विवेचना मुझे प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना के निर्देशानुसार मिली थी। मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण करके थाना कार्यालय से सम्बंधित प्रपत्र प्राप्त कर दिनांक 15.04.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 1 किता किया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट व बयान एफ०आई०आर० लेखक है०कां० 798 राकेश कुमार, थाना हाईवे के अंकित किए थे। दिनांक 16.04.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 2 किता किया था, जिसमें वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुदयाल, निवासी ग्राम सलेमपुर, थाना हाईवे, जिला मथुरा के गाँव सलेमपुर जाकर कथन अंकित किए थे तथा वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया था तथा इसी पर्चे में नक्शानजरी मेरे द्वारा तैयार की गई थी, जो पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 4अ/4 है, यह वही नक्शानजरी है, जो वादी की निशानदेही पर घटनास्थल पर जाकर तैयार किया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। इसी पर्चे में मेरे द्वारा मजरूब जय कुमार की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर नकल सी०डी० संलग्न की गई।

दिनांक 25.04.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 3 किता किया था, जिसमें एफ०आई०आर० के गवाह नवनीत पुत्र प्रेम किशोर, निवासी उपरोक्त के कथन अंकित किए थे। इसी पर्चे में मेरे द्वारा मजरूब जय कुमार पुत्र यतेन्द्र कुमार के कथन अंकित किए थे तथा नामित अभियुक्त राजेन्द्र के घर पर दबिश दी गई। दिनांक 10.05.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 4 किता किया था, जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र की गिरफ्तारी हेतु दविश दी गई, दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 21.05.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 5 किता किया था, जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र कुमार को कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार समय 7:20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा थाना हाजा के जी०डी० की रपट नंबर 25 समय 8:00 बजे दाखिल किया गया। इसी पर्चे में दाखिल करने वाले है०कां० राकेश कुमार के कथन अंकित किए गए तथा उसके बाद गिरफ्तारशुदा अभियुक्त राजेन्द्र के थाने पर बयान लिए गए। दिनांक 25.05.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 6 किता किया था, जिसमें मजरूब जय कुमार की एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर सी०डी० संलग्न किया गया। दिनांक 10.06.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 7 किता किया था, जिसमें एफ०आई०आर० में अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी करने आया तथा श्याम सिंह पुत्र जंघन सिंह, निवासी नगला माना, थाना हाईवे, जिला मथुरा से पूछताछ की गई थी, जिसमें राजेन्द्र के द्वारा दिनांक 12.04.2019 को शाम के समय यतेन्द्र व उसके लड़के के साथ घटना करना बताया। दिनांक 10.07.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 8 किता किया था, जिसमें एफ०आई०आर० में अज्ञात व्यक्तियों के नाम की जानकारी करने घटनास्थल पर गया था, जहाँ पर समाई साक्ष्य महेन्द्र दत्त आचार्य पुत्र राजेन्द्र दत्त से पूछताछ की थी, जिनने अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा घटना करना नहीं बताई, केवल राजेन्द्र के द्वारा यतेन्द्र व उसके पुत्र के साथ घटना करने की जानकारी होना बताया था। दिनांक 31.08.2019 को केस डायरी का पर्चा संख्या 9 किता किया था, जिसमें नामित अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र शिवराम, निवासी सलेमपुर, थाना हाइवे, जिला मथुरा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 296/2019/1 मैंने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोलकर धारा 384,386,307,323,504,506 IPC में आरोपपत्र प्रेषित किया था, जो पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 4अ/2 लगायत 4अ/3 है, यह वही आरोपपत्र है, जिसे मैंने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोलकर तैयार कराया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।

14– अभियुक्त राजेन्द्र पर लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः इस आशय के तर्क दिए हैं कि अभियुक्त राजेन्द्र ने दिनांक 12.04.2019 को समय अदम तहरीर स्थान गाँव सलेमपुर, अंतर्गत थाना हाईवे, जिला मथुरा पर वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग

20,000/–रूपए की माँग की, उस पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 5,000/–रूपए ले लिए, वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार व उसके पुत्र जय कुमार के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाते हुए, उनके साथ गालीगलौज की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार के पुत्र जय कुमार को जान से मारने की नीयत से उस पर कट्टे से फायर किया। परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने–अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे पूर्णतः सिद्ध होते हैं और अभियुक्त राजेन्द्र को झूठा फँसाए जाने का भी कोई कारण नहीं है, अतः अभियुक्त राजेन्द्र दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किए जाने योग्य है।

15– जबकि उपरोक्त तर्कों का प्रबल प्रतिवाद करते हुए अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः इस आशय के तर्क दिए हैं कि अभियुक्त राजेन्द्र पूर्णतः निर्दोष है, उसके द्वारा कोई भी कथित अपराध कारित नहीं किया गया है, उसको रंजिशन झूठा फँसाया गया है, उसके विरूद्ध चौथ माँगने, चौथ वसूलने, मारपीट करने, गालीगलौज देने, जान से मारने की धमकी देने, जान से मारने की नीयत से फायर करने आदि कथनों का कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्बित है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण नवनीत, यतेन्द्र कुमार व जय कुमार हितबद्ध साक्षीगण हैं और कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्याम ठाकुर को अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। न तो अभियुक्त ने कोई फायर किया और न ही किसी भी चुटैल के आग्नेयास्त्र की कोई चोट आई है और न ही अभियुक्त से कोई आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है, घटनास्थल से भी कोई खोखा–कारतूस आदि बरामद नहीं हुआ है, इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध तो कदापि नहीं बनता है। यह झूठा मुकदमा राजनैतिक प्रभाव से लिखाया गया है। पी०डब्लू० 4 नवनीत कथित घटना का घटनास्थल हरी सिंह की दुकान बताता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट व पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार की मुख्य परीक्षा के तथ्य घटनास्थल राजेन्द्र के घर के पास होना बताते हैं, अतः घटनास्थल साबित नहीं होता है। इस प्रकार न तो इस मुकदमे का घटनास्थल साबित है और न ही चक्षुदर्शी साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित होती है। पी०डब्लू० 4 नवनीत, मोटरसाइकिल, जिस पर यतेन्द्र कुमार गया था, का नंबर नहीं बताता है, अतः इसे मौके पर उपस्थित नहीं माना जा सकता है। साक्षीगण ने झूठी गवाही दी है और साक्षीगण को दिशाओं की जानकारी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना इंसपैक्टर के आदेश के लिखी गई है। विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त से कुछ बरामद न होना बताया है। चिकित्सक ने चोटें साधारण बताई हैं। सभी चोटें बनाई हुई हैं और गिरने से भी आ सकती हैं। डॉक्टर मुकुन्द बंसल के बयानों से स्पष्ट है कि चोटों की प्रकृति के साथ–साथ चोटों का रंग, जोकि चोटों के समय को दर्शाता है, का वर्णन अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है तथा चोटें नई थीं या पुरानी, नहीं कहा जा सकता। मेरे खिलाफ मुकदमा झूठा लिखाया गया है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त ने वादी पक्ष को दूध दिया था, जिसके बीस हजार रूपए वादी पक्ष पर थे, मेरे ही दूध के उक्त रूपए न देने पड़ें और मैं मेरी पत्नी के साथ की गई बदतमीजी के मुकदमे लिखाने पर डटा रहा, तब राजनैतिक पद का दुरूपयेाग कर जज उर्फ योगेन्द्र ने पुलिस से साँठ–गाँठ कर मुझ पर झूठा मुकदमा लिखा दिया। विवेचना फर्जी है, अतः अभियुक्त राजेन्द्र दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

16– प्रत्युत्तर में अभियोजन/वादी पक्ष के तर्क हैं कि न तो अभियुक्त पक्ष की ओर से कथित घटना के दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त राजेन्द्र की घटनास्थल से इतर कहीं कोई उपस्थिति बताई गई है और न ही उस कथित मुकदमे का कोई विवरण प्रस्तुत किया गया है, जोकि कथित रूप से अभियुक्त राजेन्द्र की पत्नी के साथ की गई बदतमीजी के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था और जिसे वापस लेने हेतु कथित रूप से वादी पक्ष द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र पर दबाव बनाया जा रहा था। अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा अपनी कथित दूध की

उधारी के रूपयों का भी कोई विवरण आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अभियुक्त पक्ष के तर्क मिथ्या हैं।

17– उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का सम्यक् रूपेण अवलोकन करने पर जहाँ तक अभियुक्त राजेन्द्र पर इस मामले में लगाए गए आरोपों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

18– इस मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 384, 386, 323, 504, 506 के अंतर्गत संदेह से परे एवं युक्तियुक्त ढंग से अपना यह कथानक सिद्ध करना है कि अभियुक्त राजेन्द्र ने दिनांक 12.04.2019 को समय अदम तहरीर स्थान गाँव सलेमपुर, अंतर्गत थाना हाईवे, जिला मथुरा पर वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 20,000/–रूपए की माँग की, उस पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 5,000/–रूपए ले लिए, वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार व उसके पुत्र जय कुमार के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाते हुए, उनके साथ गालीगलौज की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार के पुत्र जय कुमार को जान से मारने की नीयत से उस पर कट्टे से फायर किया।

19– जैसा कि पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि अपने उक्त कथानक को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 साक्षीगण परीक्षित कराए गए हैं, जिनमें से पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2 जय कुमार, पी०डब्लू० 4 नवनीत तथ्य के साक्षीगण हैं, जबकि पी०डब्लू० 3 है०कां० 798 राकेश कुमार, पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त चिकित्सक मुकुन्द बंसल, पी०डब्लू० 6 निरीक्षक विपिन कुमार औपचारिक साक्षीगण हैं।

20– अभियुक्त पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्बित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की दिनांक 12.04.2019 व समय 00.00 बजे अंकित है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.04.2019 को समय 13.51 बजे पंजीकृत कराई गई है और दो दिन के उक्त विलम्ब का कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है।

उक्त तर्क के प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से अवश्य है, किन्तु यह विलम्ब कोई अनुचित विलम्ब नहीं है, क्योंकि स्वयं वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार, जिसे कि पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, की प्रतिपरीक्षा में इस आशय का तथ्य आया है कि घटना के वक्त 100 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसे अस्पताल ले गई थी, पहले अस्पताल लेकर गई, थाने लेकर नहीं गई, इसी कारण अगले दिन थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था।

उक्त प्रतिवाद का अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई समुचित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त दर्शित परिस्थितियों में व इस मामले के तथ्यों के प्रकाश में कथित विलम्ब कितना महत्वपूर्ण है अथवा मामले के गुणदोष पर कथित विलम्ब का क्या प्रभाव पड़ सकता है, अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त पक्ष का यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्बित है, बलहीन हो जाता है।

21– अभियुक्त पक्ष की ओर से इस आशय के तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण नवनीत, यतेन्द्र कुमार व जय कुमार हितबद्ध साक्षीगण हैं, जिनमें से पी०डब्लू० 2 जय कुमार, वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार का पुत्र है और पी०डब्लू० 4 नवनीत, वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार का भतीजा है, चूँकि उक्त तीनों ही साक्षीगण रक्त सम्बन्धी हैं और इनके परस्पर हित जुड़े हुए हैं, अतः उक्त साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

उक्त तर्क के प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए उक्त साक्षीगण नवनीत, यतेन्द्र कुमार व जय कुमार हितबद्ध

साक्षीगण अवश्य हैं, किन्तु वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार का यह कथन नहीं है कि उसका पुत्र पी०डब्लू० 2 जय कुमार व भतीजा पी०डब्लू० 4 नवनीत इस घटना के समय उसके साथ ही मथुरा से आ रहे थे, बल्कि जय कुमार व नवनीत कथित घटना के होते समय संयोगवश ही घटनास्थल पर पहुँचे थे, इनमें से जय कुमार उस समय घटनास्थल पर पहुँचा, जबकि वह खाना खाकर टहलने जा रहा था, जबकि नवनीत उस समय घटनास्थल पर पहुँचा, जबकि वह गाँव सलेमपुर से मथुरा की तरफ जा रहा था। अभियोजन साक्षीगण जय कुमार व नवनीत ने अपने–अपने साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा कथित घटना देखने के तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया है और इनके साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य भी नहीं आया है, जिससे कि इनके द्वारा कथित घटना का देखा जाना अविश्वसनीय प्रतीत होता हो। अन्यथा भी अनेक विधि व्यवस्थाओं के माध्यम से रक्त सम्बन्धियों, रिश्तेदार–नातेदार, निकटवर्ती मित्रगण के साक्ष्य को पूर्णतः मान्यता दी गई है।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए तथ्य के तीनों ही साक्षीगण परस्पर रक्त सम्बन्धी हैं, किन्तु अभियुक्त पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है कि अभियोजन साक्षीगण जय कुमार व नवनीत कथित घटना के समय घटनास्थल से अन्यथा किसी और स्थान पर उपस्थित थे अथवा घटनास्थल से इतनी दूर थे कि उनका घटना के समय वहाँ पहुँचना सम्भव नहीं था।

इस प्रकार अभियुक्त पक्ष का यह तर्क कि तथ्य सम्बन्धी परीक्षित कराए गए तीनों ही अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य परस्पर रक्त सम्बन्धी व उनके कथित रूप से हितबद्ध होने के कारण विश्वसनीय नहीं है, बलहीन प्रतीत होता है।

22– अभियुक्त पक्ष का एक तर्क यह भी है कि कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्याम ठाकुर, जोकि एक स्वतंत्र व्यक्ति है, को अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है, अतः इस कारण अभियोजन कथानक बलहीन है और विश्वास किए जाने योग्य नहीं है।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष का कथन है कि यह अभियोजन पक्ष का अधिकार है कि वह अपने मामले को किस–किस साक्षी के माध्यम से सिद्ध करना चाहता है, अतः इस सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष का तर्क प्रभावपूर्ण नहीं है।

इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से विधि व्यवस्था **Sandeep Vs. State of U.P. (2012) 6 SCC 107** संदर्भित की गई है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–`

Public Prosecutor is not bound to examine all witnesses of a particular fact.

माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में भी अभियुक्त पक्ष का यह तर्क प्रभावपूर्ण नहीं रह जाता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त श्याम ठाकुर को परीक्षित न कराए जाने के कारण अभियोजन कथानक बलहीन व अविश्वसनीय है।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि अभियुक्त पक्ष उक्त श्याम ठाकुर का साक्ष्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण या अपने पक्ष में आना समझता था तो वह स्वयं प्रतिरक्षा साक्ष्य में उक्त श्याम ठाकुर को प्रस्तुत कर सकता था अथवा न्यायालय से प्रार्थना कर उक्त श्याम ठाकुर को साक्ष्य हेतु आहूत करा सकता था, किन्तु अभियुक्त पक्ष द्वारा ऐसा भी कोई प्रयास नहीं किया गया है, अतः अभियुक्त पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि उक्त श्याम ठाकुर को अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित न कराए जाने के कारण अभियोजन कथानक बलहीन है और विश्वास किए जाने योग्य नहीं है।

23– अभियुक्त पक्ष की ओर से इस आशय के तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं कि पी०डब्लू० 4 नवनीत कथित घटना का घटनास्थल हरी सिंह की दुकान बताता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट व पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार की मुख्य परीक्षा के तथ्य घटनास्थल राजेन्द्र के घर के पास होना बताते हैं, अतः घटनास्थल साबित नहीं होता है। इस प्रकार न तो इस मुकदमे का घटनास्थल साबित है और न ही चक्षुदर्शी साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित

होती है, अतः अभियोजन कथानक विश्वसनीय नहीं है।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के उक्त तर्कों को नकारते हुए पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क–6 को संदर्भित किया गया है और कहा गया है कि उक्त नक्शानजरी में दर्शित A स्थान पर, जोकि गाँव सलेमपुर जाने का रास्ता है, वादी द्वारा अपने साथ घटना होना बताया है, इसके ठीक पास नहर का बम्बा है और बम्बे के उत्तर ओर दुकान हरी सिंह व दक्षिण ओर मकान राजेन्द्र है, इस प्रकार घटनास्थल हरी सिंह की दुकान व राजेन्द्र के मकान के मध्य में ही है, जैसा कि अभियोजन साक्ष्य में भी आया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अंकित है। जहाँ तक चक्षुदर्शी साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति का प्रश्न है, परीक्षित कराए गए चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य के माध्यम से स्वयं को घटनास्थल पर उपस्थित होना भी बताया है और उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में न केवल घटनास्थल पूर्णतः सिद्ध है, बल्कि अभियोजन साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति भी पूर्णतः सिद्ध है।

पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क–6 में दर्शित रास्ता व अन्य सम्पत्तियाँ मौके पर अस्तित्व में न हों, ऐसा कोई तर्क अभियुक्त पक्ष का नहीं है और न ही अभियुक्त पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क–6 को किसी प्रकार की कोई चुनौती तर्क के दौरान दी गई है, अतः अभियुक्त पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि न तो घटनास्थल साबित होता है और न ही अभियोजन साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित होती है।

24– अभियुक्त पक्ष का एक तर्क यह भी है कि पी०डब्लू० 4 नवनीत, मोटरसाइकिल, जिस पर यतेन्द्र कुमार गया था, का नंबर नहीं बताता है, अतः इसे मौके पर उपस्थित नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष का कहना है कि यतेन्द्र कुमार की मोटरसाइकिल का नंबर मात्र न बताने के आधार पर न तो पी०डब्लू० 4 नवनीत को मौके पर अनुपस्थित माना जा सकता है और न ही उक्त साक्षी के साक्ष्य का मूल्य कम होता है।

उक्त तर्कों के प्रकाश में पी०डब्लू० 4 नवनीत की साक्ष्य का अवलोकन करने से विदित होता है कि उक्त सम्बन्ध में पी०डब्लू० 4 नवनीत की प्रतिपरीक्षा न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को अंकित की गई है, जिसमें कि उक्त साक्षी ने इस आशय का कथन किया है कि धारा 161 CrPC के बयान में मोटरसाइकिल स्पलेंडर से यतेन्द्र को आना बताया है, उस मोटरसाइकिल का नंबर मैं नहीं बता सकता। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस मामले से सम्बन्धित घटना दिनांक 12.04.2019 को घटित होनी बताई गई है और इस प्रकार इस साक्षी का उक्त कथन लगभग 7 वर्ष पश्चात् पत्रावली पर आया है, ऐसी स्थिति में यदि एक सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जाय तो लगभग 7 वर्ष पश्चात् किसी भी घटनाक्रम, विवरण आदि को यथावत् याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है, अतः यदि पी०डब्लू० 4 नवनीत, यतेन्द्र कुमार की मोटरसाइकिल का नंबर अपनी प्रतिपरीक्षा में नहीं भी बता पाया है तो मात्र इस आधार पर उसे कथित घटना के समय मौके पर अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है और इस सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क बलहीन है।

25– अभियुक्त पक्ष का एक तर्क यह भी है कि तथ्य से सम्बन्धित अभियोजन साक्षीगण को दिशाओं की जानकारी नहीं है, अतः यह माना जाना चाहिए कि तथ्य के अभियोजन साक्षीगण ने झूठी गवाही दी है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त तर्क का प्रतिवाद किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि तथ्य के अभियोजन साक्षीगण में से पी०डब्लू० 2 जय कुमार व पी०डब्लू० 4 नवनीत से दिशाओं के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से विभिन्न प्रश्न अवश्य किए गए हैं और उक्त साक्षीगण द्वारा उक्त प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिए गए हैं, किन्तु मात्र इसी आधार पर उक्त साक्षीगण की सम्पूर्ण साक्ष्य को झूठा माना जाना न्यायोचित नहीं है, बल्कि उक्त साक्षीगण की सम्पूर्ण साक्ष्य का अध्ययन

अन्य समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है, अतः उक्त सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष का तर्क अधिक बलपूर्ण नहीं है।

26– अभियुक्त पक्ष का एक तर्क यह भी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना इंसपैक्टर के आदेश के लिखी गई है।

उक्त तर्क के प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 3 है०कां० 798 राकेश कुमार की साक्ष्य को संदर्भित करते हुए कहा गया है कि उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही इस आशय का कथन किया है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार के टाइपशुदा प्रार्थनापत्र पर प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश से कम्प्यूटर में स्वयं चिक एफ०आई०आर० तैयार की थी। हालाँकि अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने इस आशय के कथन किए हैं कि वादी द्वारा दी गई तहरीर पर इंस्पैक्टर या किसी अधिकारी का कोई लिखित आदेश नहीं था, किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में ही उक्त साक्षी ने अभियुक्त पक्ष के इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसने किसी अधिकारी का कोई मौखिक या लिखित आदेश न लिया हो और वादी से मिलकर उसके प्रभाव में आकर झूठा मुकदमा लिखा हो।

उक्त प्रतिवाद का अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई समुचित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अभियुक्त पक्ष का यह तर्क प्रभावहीन हो जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना इंसपैक्टर के आदेश के लिखी गई है।

27– अभियुक्त पक्ष का एक तर्क यह भी है कि विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त से कुछ बरामद होना नहीं बताया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त तर्क का सिवाय इसके कि चूँकि अभियुक्त राजेन्द्र बहुत लंबे समय तक फरार रहा है, इस कारण उससे कोई बरमादगी सम्भव नहीं हो पाई है, अन्य कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है।

उक्त संदर्भ में पी०डब्लू० 6 निरीक्षक विपिन कुमार, जोकि इस प्रकरण के विवेचनाधिकारी हैं, की प्रतिपरीक्षा का वह अंश उल्लिखित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें कि उक्त साक्षी ने स्पष्टतः कहा है कि सम्पूर्ण विवेचना के दौरान अभियुक्त से किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई, यह बात सही है।

चूँकि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के उक्त तर्क का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है और विवेचनाधिकारी द्वारा भी अभियुक्त से कोई बरामदगी होना नहीं बताया गया है, अतः अभियुक्त पक्ष का उक्त तर्क सही है।

28– अभियुक्त पक्ष की ओर से इस आशय के तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं कि अभियुक्त राजेन्द्र पूर्णतः निर्दोष है, उसके द्वारा कोई भी कथित अपराध कारित नहीं किया गया है, उसको रंजिशन झूठा फँसाया गया है, उसके विरूद्ध चौथ माँगने, चौथ वसूलने, मारपीट करने, गालीगलौज देने, जान से मारने की धमकी देने, जान से मारने की नीयत से फायर करने आदि कथनों का कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह झूठा मुकदमा राजनैतिक प्रभाव से लिखाया गया है। चिकित्सक ने चोटें साधारण बताई हैं। सभी चोटें बनाई हुई हैं और गिरने से भी आ सकती हैं। डॉक्टर मुकुन्द बंसल के बयानों से स्पष्ट है कि चोटों की प्रकृति के साथ–साथ चोटों का रंग, जोकि चोटों के समय को दर्शाता है, का वर्णन अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है तथा चोटें नई थीं या पुरानी, नहीं कहा जा सकता। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा झूठा लिखाया गया है, उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त ने वादी पक्ष को दूध दिया था, जिसके बीस हजार रूपए वादी पक्ष पर थे, दूध के उक्त रूपए न देने पड़ें और अभियुक्त की पत्नी के साथ की गई बदतमीजी के मुकदमे लिखाने पर डटा रहा, तब राजनैतिक पद का दुरूपयेाग कर जज उर्फ योगेन्द्र ने पुलिस से साँठ–गाँठ कर मुझ पर झूठा मुकदमा लिखा दिया। विवेचना फर्जी है।

29– उक्त तर्कों का प्रतिवाद करते हुए अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से इस आशय के कथन किए गए हैं कि परीक्षित कराए गए तथ्य के तीनों साक्षीगण पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2 जय कुमार, पी०डब्लू० 4 नवनीत ने अपनी–अपनी साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है। साथ ही परीक्षित कराए गए

औपचारिक साक्षीगण पी०डब्लू० 3 है०कां० 798 राकेश कुमार, पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त चिकित्सक मुकुन्द बंसल, पी०डब्लू० 6 निरीक्षक विपिन कुमार ने भी अपनी–अपनी साक्ष्य के माध्यम से न केवल अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान किया है, बल्कि स्वयं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न अभियोजन प्रपत्रों को सिद्ध भी किया है। कथित घटना में आहत हुए यतेन्द्र कुमार व जय कुमार से सम्बन्धित चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिनमें उक्त दोनों के चोटें आना भी पाया गया है और स्वयं उक्त दोनों ने अपनी–अपनी साक्ष्य में भी अभियोजन कथनानुसार घटना होना बताया है। न तो अभियुक्त की वादी पक्ष पर दूध की कोई उधारी थी और न ही वादी पक्ष द्वारा अभियुक्त की पत्नी के साथ कोई बदतमीजी की गई। मुकदमा भी बिना किसी दबाव के सत्य घटनाक्रम के आधार पर पंजीकृत हुआ है, जिसकी विधि अनुरूप विवेचना सम्बन्धित विवेचनाधिकारी ने की है।

30– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के कथन हैं कि न तो अभियुक्त ने कोई फायर किया और न ही किसी भी चुटैल के आग्नेयास्त्र की कोई चोट आई है और न ही अभियुक्त से कोई आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है, घटनास्थल से भी कोई खोखा–कारतूस आदि बरामद नहीं हुआ है, इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध तो कदापि नहीं बनता है।

31– उक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामिग्री का अवलोकन करने से विदित होता है कि हालाँकि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए तथ्य के तीनों साक्षीगण पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2 जय कुमार, पी०डब्लू० 4 नवनीत ने अपनी–अपनी साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए इस आशय के कथन किए हैं कि अभियुक्त राजेन्द्र ने दिनांक 12.04.2019 को समय अदम तहरीर स्थान गाँव सलेमपुर, अंतर्गत थाना हाईवे, जिला मथुरा पर वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 20,000/–रूपए की माँग की, उस पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 5,000/–रूपए ले लिए, वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार व उसके पुत्र जय कुमार के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाते हुए, उनके साथ गालीगलौज की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार के पुत्र जय कुमार को जान से मारने की नीयत से उस पर कट्टे से फायर किया, किन्तु यदि समस्त साक्ष्य सामिग्री का अवलोकन किया जाय तो यह विदित होता है कि घटना वाली दिनांक, समय व स्थान पर कथित रूप से अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार पर कट्टा तान व उसे जान का भय दिखाकर उससे चौथ के रूप में मुवलिग 20,000/– रूपए माँगने और उक्त कारणवश वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र को चौथ के रूप में मुवलिग 5,000/– रूपए दे देने के तथ्य का सिवाय वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार के कोई अन्य साक्षी नहीं है, क्योंकि तथ्य के अन्य दोनों साक्षियों जय कुमार व नवनीत को स्वयं वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार ने उक्त घटनाक्रम के बाद घटनास्थल पर आना बताया है। वादी मुकदमा से मुवलिग 20,000/– रूपए कथित चौथ माँगने व वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्तानुसार मुवलिग 5,000/– की चौथ दिए जाने की कथित घटना का वादी मुकदमा से अन्यथा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो, ऐसा भी अभियोजन/वादी पक्ष का कोई तर्क नहीं है।

32– उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में न्यायालय के मत में अभियोजन/वादी पक्ष अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 384,386 भारतीय दण्ड संहिता को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

33– जहाँ तक कथित रूप से अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार के पुत्र जय कुमार के मौके पर आ जाने पर अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा जय कुमार पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किए जाने का प्रश्न है, हालाँकि तथ्य के परीक्षित कराए गए तीनों साक्षियों पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2 जय कुमार, पी०डब्लू० 4 नवनीत ने अपनी–अपनी साक्ष्य के माध्यम से उक्त तथ्य का समर्थन अवश्य किया है, किन्तु स्वीकृत रूप से न तो अभियुक्त राजेन्द्र से किसी आग्नेयास्त्र की बरामदगी की

गई है और न ही विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल से किसी खोखा कारतूस आदि का बरामद किया जाना बताया गया है। जय कुमार के आग्नेयास्त्र की कोई चोट न होना स्वयं अभियोजन पक्ष को ही स्वीकार है, अतः अभियुक्त पक्ष के इस तर्क में बल है कि अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा वादी यतेन्द्र कुमार के पुत्र जय कुमार पर जान से मारने की नीयत से कोई फायर नहीं किया गया।

34– पत्रावली पर वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार व उसके पुत्र जय कुमार से सम्बन्धित चिकित्सीय प्रपत्र उपलब्ध हैं, जोकि दिनांक 13.04.2019 को ही समय 01.25 a.m. व समय 01.35 a.m. पर तैयार किए गए हैं और जिन्हें कि पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल ने अपनी साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध भी किया है और इन पर प्रदर्श भी अंकित किए गए हैं।

उक्त साक्षी द्वारा वादी मुकदमा/आहत यतेन्द्र कुमार के निम्न चोटें पाई गई थीं–

(1) बाँए कंधे पर सूजन।
(2) पीठ के बाँई तरफ 10 x 8 cm के क्षेत्रफल में कई सारे नीलगू निशान।
(3) छाती के बाँई तरफ 4 x 2 cm नीलगू निशान।
(4) पेट में दर्द की शिकायत।
(5) बाँए हाथ पर 3 x 1 cm की नीलगू।

साथ ही चोट नंबर 2 को निगरानी में रखते हुए उसके एक्सरे की सलाह दी गई थी, बाकी चोटें साधारण थीं। ये चोटें किसी कुंदाले हथियार से आना संभव बताई गईं थीं और लगभग ताजा बताई गईं थीं।

उक्त साक्षी द्वारा दूसरे आहत जय कुमार के निम्न चोटें पाई गई थीं–

(1) दाहिने अँगूठे और हाथ पर 7 x 4 cm की नीलगू सूजन।
(2) पीठ के बाँई तरफ 6 x 1 cm की नीलगू।

उक्त चोटों में से चोट नंबर 1 के एक्सरे की सलाह दी गई। बाकी चोट साधारण थी। चोटें किसी कुंदाले हथियार से आनी संभव बताई गईं थीं, लगभग ताजा बताई गईं थीं।

चूँकि अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त दोनों आहत व्यक्तियों में से किसी की भी एक्सरे आख्या/एक्सरे प्लेट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः सम्बन्धित चोटों के गम्भीर प्रकृति की होने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

हाँ इतना अवश्य है कि कथित चोटों की प्रकृति साधारण होना अवश्य सिद्ध है।

35– हालाँकि वादी मुकदमा/आहत यतेन्द्र कुमार व आहत जय कुमार की उक्त चोटों के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल की प्रतिपरीक्षा को संदर्भित करते हुए इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त दोनों आहत व्यक्तियों की चोटें गिरने से भी आ सकती हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त डॉ० मुकुन्द बंसल की प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 3 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त साक्षी द्वारा केवल इस आशय का कथन किया गया है कि आहत यतेन्द्र उर्फ गुड्डू की चोटें गिरने से भी आ सकती हैं, न तो उक्त कथन उक्त साक्षी का एक निश्चित मत माना जा सकता है और न ही उक्त कथन दोनों आहत व्यक्तियों यतेन्द्र कुमार व जय कुमार से सम्बन्धित है, बल्कि मात्र यतेन्द्र उर्फ गुड्डू से सम्बन्धित है, अतः इस सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष का तर्क बलहीन है।

36– आहत यतेन्द्र कुमार व जय कुमार की उक्त चोटें अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा न पहुँचाई जाकर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गई हों या आहत यतेन्द्र कुमार व जय कुमार का अभियुक्त राजेन्द्र से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति से कोई झगड़ा या वादविवाद हो या अभियुक्त राजेन्द्र अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए इस घटना के दिनांक, समय व स्थान पर घटनास्थल से अन्यथा किसी स्थल पर उपस्थित हो, ऐसा अभियुक्त पक्ष का कोई तर्क नहीं है।

37– उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में न्यायालय के मत में अभियोजन/वादी पक्ष अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है, जबकि अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा

आहत यतेन्द्र कुमार व जय कुमार को पहुँचाई गई कथित चोटों के सम्बन्ध में अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे एवं युक्तियुक्त ढंग से पूर्णतः सिद्ध होता है।

38– अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 384, 386, 307, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अतिरिक्त धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत भी आरोप विरचित किए गए हैं, जिनके अनुसार अभियुक्त राजेन्द्र ने वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार व उसके पुत्र जय कुमार के साथ गालीगलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

39– उक्त सम्बन्ध में क्रमशः पी०डब्लू० 1 यतेन्द्र कुमार व पी०डब्लू० 2 जय कुमार की साक्ष्य का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि उक्त दोनों ही साक्षियों ने अपनी–अपनी साक्ष्य में अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा स्वयं को गालीगलौज दिए जाने व जान से मारने की धमकी दिए जाने के स्पष्ट कथन किए हैं और उक्त दोनों ही साक्षियों की प्रतिपरीक्षाओं में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जिससे कि उक्त तथ्य के सम्बन्ध में उक्त दोनों साक्षियों का साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होता हो।

40– उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में न्यायालय के मत में अभियोजन/वादी पक्ष अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता को संदेह से परे एवं युक्तियुक्त ढंग से सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है।

41– चूँकि उपरोक्त समस्त विमर्शन के अनुसार अभियोजन/वादी पक्ष अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता को संदेह से परे एवं युक्तियुक्त ढंग से सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है, अतः अभियुक्त राजेन्द्र अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दोषसिद्ध द्योषित किए जाने योग्य है, जबकि अभियुक्त राजेन्द्र अंतर्गत धारा 307, 384, 386 भारतीय दण्ड संहिता दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

42– अभियुक्त राजेन्द्र जमानत पर है, उसे तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय और उसका वारण्ट नियमानुसार संशोधित किया जाय।

अभियुक्त राजेन्द्र के प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उंमोचित किया जाता है।

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु आज ही भोजनावकाश उपरांत प्रस्तुत हो।

दिनांक–26.03.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

26.03.2026

पत्रावली भोजनावकाश उपरान्त दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।

अभियुक्त राजेन्द्र न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

अभियुक्त राजेन्द्र को अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दोषसिद्ध घोषित किया जा चुका है।

दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त राजेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त राजेन्द्र बहुत ही गरीब व्यक्ति है, वह खेती का कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है, वह अन्य किसी प्रकरण में सजायाफ्ता नहीं है और इस अपराध में लगभग ढाई माह कारागार में निरूद्ध रह चुका है, अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ देते हुए छोड़ दिया जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा वादी मुकदमा यतेन्द्र कुमार एवं उसके पुत्र जय कुमार के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुँचाना, गालीगलौज करना व जान से मारने की धमकी देना अभियोजन साक्ष्य से सिद्ध हो चुका है, अतः अभियुक्त राजेन्द्र को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए, जिससे समाज में अपराधी तत्व हतोत्साहित हों और न्याय के प्रति आम जनता का विश्वास बना रहे।

अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला विचाराधीन हो या वह किसी अन्य मामले में पूर्व दोषसिद्ध हो, ऐसा कोई तर्क अभियोजन पक्ष का नहीं है, अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राजेन्द्र को सुधरने का एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि यदि उसे सुधरने का एक अवसर नहीं दिया गया तो उस पर व उसके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहेगी, जिससे विधि का उद्देश्य विफल होना भी सम्भव है।

निष्कर्षतः न्यायालय इस स्तर पर अभियुक्त राजेन्द्र को इस मामले में कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित न पाते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

अभियुक्त राजेन्द्र को अंतर्गत धारा 307, 384, 386 भारतीय दण्ड संहिता दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राजेन्द्र को धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है, किन्तु दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई किए जाने के दौरान उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अभियुक्त राजेन्द्र को धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ देते हुए दो वर्ष के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है।

उक्त अवधि में अभियुक्त राजेन्द्र किसी भी आपराधिक कृत्य में स्वयं को लिप्त नहीं करेगा, पूर्णतः सदाचार बनाए रखेगा और किसी भी अपराध में संलिप्त होने पर, न्यायालय द्वारा उक्त अवधि के दौरान बुलाए जाने पर, उपस्थित होकर दण्डादेश पाएगा।

अभियुक्त राजेन्द्र उक्त शर्तों को पूरा करने के लिए मुवलिग एक लाख रूपए का

व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष सात दिन के अंदर प्रस्तुत करे।

इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी को अविलम्ब प्रेषित की जाय।

अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्तानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु इस न्यायालय में मुवलिग एक लाख रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से इस मामले में धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही अंदर तीन दिन की जाय।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त राजेन्द्र को धारा 363(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाय।

दिनांक–26.03.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर, खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–26.03.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी